भारत सरकार खान मंत्रालय भारतीय खान ब्यूरो क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यलय कर्मयोगी भवन, सेक्टर-10A, चतुर्थ माला, ब्लॉक-2 , सी विंग, गांधीनगर ई -मेल: gandhinagar.ibm@gmail.com



GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF MINES

INDIAN BUREAU OF MINES

Office of Regional Controller of Mines Karmayogi Bhavan, 4th Floor, Block-2, Sector-10A, Gandhinagar-382010, Gujarat

मिसिल सं-. गुज/जाम/बॉक्स -97

<u>पंजीकृत पत्र</u> उल्लंघन पत्र

दिनांक: 31.08.2018

Station Road Post-Bhatia, Dist- Devbhumi Dwarka, Gujarat-361315

M/s. Carborandum Universal Limited.

विषय: गुजरात राज्य के जामनगर जिले के ग्राम महादेविया में स्थित आपकी महादेविया बॉक्साइट खान, सर्वे नंबर-241/P, क्षेत्रफल 4.4617 हेक्टर में खनिज संरक्षण व विकास नियमावली 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन।(Mine Code-07GUJ07095).

महोदय.

सेवा में :

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 24/07/2018 को आपकी उपरोक्त खान के निरीक्षण के दौरान खनिज संरक्षण एवं विकास नियमवाली 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया |

| <u>नियम स.</u> | <u>पाए गए उल्लंघन की विस्तृत प्रकृति</u> | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|
| Rule 11(1) | No holder of a mining lease shall commence or carry out mining operations in any area except | | | | | |
| | in accordance with the mining plan approved, modified or reviewed by the Indian Bureau of | | | | | |
| | Mines | | | | | |
| | In Para 5.1(b), During the year 2015-16 production of Bauxite was proposed at the tune of 40500 | | | | | |
| | MT whereas total 73500 MT of Bauxite production carried out during the year 2015-16 which is | | | | | |
| | on higher side and clearly indicating deviation thereof. | | | | | |
| Rule26(2) | The holder of mining lease shall submit a yearly report as per the format specified before 1st | | | | | |
| | July of every year setting forth the extent of protective and rehabilitative work carried out as | | | | | |
| | envisaged in the approved mine closure plan, and if there is any deviation, reason thereof | | | | | |
| | But in your case the aforesaid Report in prescribe Form not submitted to the Regional Controller | | | | | |
| | of Mine, Gandhinagar. | | | | | |
| D 1 20(1) | | | | | | |
| Rule 28(1) | The holder of the mining lease shall send a notice in Form-E when the mining operations in | | | | | |
| | the mine or part thereof are discontinued for a period exceeding 90 days so as to reach a | | | | | |
| | concerned offices within 120 days | | | | | |
| | But in your case the aforesaid notice in prescribe Form-E not submitted to the Regional Controller | | | | | |
| | of Mine, Gandhinagar. | | | | | |
| Rule | Surface Plan of the mining lease area is not prepared as per the guidelines and wrong | | | | | |
| 32(1)(a) | representation in respect of backfilled area has been shown over the surface plan. | | | | | |

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है की उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण व विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है तथा इन नियमों के उल्लंघन की अनुपलना नहीं होने पर खनिज संरक्षण व विकास नियमावली, 2017 के नियम 11(2) के अंतर्गत खदान की सारी संक्रियाए बंद की जा सकती है / आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है और/या राज्य सरकार से खदान की सारी संक्रियाए बंद करने और/या आपके विरुद्ध अभियोग दायर करने की सिफ़ारिश की जा सकती है |

| 03. | अत: आपको सलाह दी जाती है | ्कि आप उपरोक्त | उल्लंघनों का तत्काल | सुधार कर इसकी सूचन | ग इस पत्र के जारी होने क ी | ा तिथि से 45 |
|-----|------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------|
| | (पैतालीस) दिनों के अंदर इस क | ार्यालय को भेजे | | | | |

भवदीय,

(संजय गिरहे) वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी कृते क्षेत्रीय खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो

- 1. खान नियंत्रक (उ.) भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर|
- 2. आयुक्त, भूविज्ञान व खनन विभाग, ब्लॉक-1, 7वा माला, उद्योग भवन, गांधीनगर (गुज.)
- 3. रक्षित पत्रावली |

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी कृते क्षेत्रीय खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो